(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील-358/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 06/अपील/11-12.

खुशीलाल आत्मज रामदयाल
निवासी सिंगपुर, ग्राम कोटवार सिंगपुर,
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद .....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....प्रत्यर्थी

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पूर्वज पिछली लगातार 3-4 पीढ़ियों से खानदानी रूप से ग्राम सिंगपुर के कोटवार रहे हैं एवं वर्तमान में अपीलार्थी उपरोक्त ग्राम कोटवार के रूप में कार्यरत् है एवं उसके आधिपत्य में भूमि खसरा नं. 7 रकबा 9.13, खसरा नं. 21 रकबा 016 जुमला 9.29 एकड़ भूमि उसके पूर्वजों के समय से अर्थात् तहसीलदार के अभिमत अनुसार वर्ष 1913-14 से चली आ रही है। इसी तारतम्य में अपीलार्थी ने भूमिस्वामी हक दर्ज कराए जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 03.03.2010 के अनुसार एक आवेदन

कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 1/अ-19/15-16 दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 19.11.2015 द्वारा तहसीलदार से विधिवत जांच करवाकर कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला होशंगाबाद से प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार यह पाया गया है कि अपीलार्थी ग्राम कोटवार सिंगपुर को उपरोक्त भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदाय किया जाना उचित है। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 26.07.2016 द्वारा कलेक्टर ने आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि भूमि सेवा भूमि होने के कारण भूमि स्वामी नहीं माना जा सकता, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2016 को आदेश पारित कर निरस्त की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल, ग्वालियर में प्रस्तुत की गई, जो कि दिनांक 27.03.2017 से निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 9109/2017 प्रस्तुत की थी, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 17.07.2017 द्वारा करते हुए राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए आदेशित किया है कि अपीलार्थी के प्रकरण का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर की डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील क्रमांक 682/2015 में पारित आदेश 10.09.2015 के अनुसार किया जाये। अतः माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के उपरोक्त आदेश के पालन में यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल न्यायालय के प्रकरण में संलग्न साक्ष्य का विवेचन नहीं किया, इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य हैं। सही में निचली न्यायालयों को तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2016 की कंडिका 2 की अंतिम पांच लाईनें पढकर इस सत्य निष्कर्ष पर पहुँचना था कि मालगुजार राजा कोमल सिंह वल्द रघुवीर सिंह द्वारा माफी खिदमती ''व्यक्तिगत'' सेवा के कारण उसे सेवा में प्राप्त भूमि है, जिस पर ग्राम कोटवार द्वारा भूमिस्वामी हक चाहा गया है। **पैरा 3:-** राजस्व निरीक्षक बनखेड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान कोटवार खुशीलाल वल्द रामदयाल को बाजिव उल अर्ज में दर्ज खसरा क्रमांक 7 व 21 जुमला रकबा 9.29 एकड़ भूमि पूर्वज घासीराम कोटवार को प्राप्त सेवा माफी खिदमती प्राप्त भूमि है। इस भूमि पर अपीलार्थी ग्राम कोटवार भूमि स्वामी हक पाने की पात्रता रखता है। उपरोक्त सत्य साक्ष्य को मनन

कर विधि अनुसार इस सत्य निष्कर्ष पर पहुँचना था कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उसे प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों ने तहसीलदार, बनखेड़ी के प्रतिवेदन के अभिमत की कंडिका में लिखे निम्नलिखित अभिमत पर दृष्टिपात ही नहीं किया। इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है। ''अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 72 प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रश्नाधीन भूमि ग्राम सिंगपुर की भूमि खसरा नंबर 72 रकबा 9.13 एकड़ एवं खसरा नंबर 97 रकबा 016 एकड़, जुमला रकबा 9.29 एकड़ भूमि को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 9/19/98/7/भोपाल दिनांक 04.09.1999 के अनुसार भूमि स्वामी हक प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण कलेक्टर की ओर इत्यादि। उपरोक्त अभिमत को पढ़कर अधीनस्थ न्यायालयों को आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करना चाहिए था।

(3) कलेक्टर एवं अपर आयुक्त को मूल प्रकरण में संलग्न लेखी दस्तावेज- 1. वाजिब उल अर्ज 2. तहसीलदार प्रतिवेदन को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना था कि मालगुजारी अधिनियम की धारा 45(3) के पालन में तत्कालीन अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 7/- रू. प्रतिवर्ष लगान मुकर्रर किया गया था, उसे शासन द्वारा वसूला भी गया। इसलिए कलेक्टर को अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करना था, ऐसा न कर गरीब अपीलार्थी के साथ बहुत कठोर रूख अपनाया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों ने उनके द्वारा पारित आदेश में यह मानकर भारी भूल की है कि अपीलार्थी को तत्कालीन मालगुजार द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई भूमि होना नहीं पाया गया। ऐसी भूमि पर विधि अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम नौकर के नाम दर्ज है। ऐसी भूमि पर कोटवारों को मौरूसी हक उत्पन्न नहीं होने से उन्हें भूमि स्वामी नहीं माना जा सकता।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अत: उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। अत: उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा तहसीलदार एवं अधीक्षक से भू-अभिलेख से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45(2) के तहत बतौर पारिश्रमिक सेवा भूमि होने के कारण कोटवार को मौरूसी हक उत्पन्न नहीं होने से भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय नहीं किये गये हैं, जो कि उचित है, क्योंकि कोटवार की सेवा भूमि पर मौरूसी हक नहीं दिये जा सकते हैं। कलेक्टर के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-

> "धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं- द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं है।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 एवं कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 स्थिर रखे जाते हैं। अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर